

पत्र सं०- 09/उपा०बीज०अनु०-19/2018 2321 /कृ० पटना, दिनांक 20.04.2018

प्रेषक :

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स एम्स हाइब्रीड सीड्स प्रा० लि०,
द्वारा-साई सुमित्रा ट्रेडिंग,
जे०-157 पी०सी०, कॉलोनी,
कंकडबाग, पटना-20

विषय : बीज बिक्री नयी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए,कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कामजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या.....35/2018 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि.....19.04.2018 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :-बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन,

H. S. Kumar
19.4.18
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 2321

/कृ०, पटना, दिनांक 20.04.2018

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तैलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि रनातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनाार्थ प्रेषित।

2. आई०२टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

H. S. Kumar
19.4.18
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मेसर्स एम्स हाइब्रीड सीड्स प्रा० लि० द्वारा निम्नलिखित बीजों का ही व्यवसाय किया जाएगा।

पत्रांक: - 2321

दिनांक 20.4.2018

LIST OF CROP VARIETIES

SR.NO.	CROP	VARIETIES
1	Paddy	Chandan ZPV-1122, Aims Balwan ARP-2233, Aims Bheem ARP-1133, Chandan Gold ARP-5445, Aims Super ARP-1171, Aims Kirtiman ARP-8181, Aims Shaktiman ARP-8080, Aims Hariom ARP-3333, Aims Shruti ARP-2222, Aims Ruby Gold
2	Hybrid Maize	Vishwas AMH-55, Vishwas AMH-101,

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2421

7

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।
19.4.18



FORM 'B'

(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No. 35/2018 Date 24.04.2018 दिनांक - 20.04.2018


Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri मेसर्स एम्स हाइब्रीड सीड्स प्रा० लि०, is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business, द्वारा-साई सुमित्रा ट्रेडिंग, जे०-157 पी०सी०, कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-20 the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स एम्स हाइब्रीड सीड्स प्रा० लि०, श्री अजीत कुमार चौधरी, S/o- श्री प्रमोदचन्द चौधरी, मकान नं०-48, नेकशाह दरगाह लेन, पो०ओ०+जिला-भागलपुर, मौजा-रानीपुर, मोहल्ला-मुर्तीजीगंज, थाना-मेंहदीगंज, जिला-पटना, थाना नं०-19, तौजी नं०-15/3, खाता नं०-158, खेसरा नं०-2387 एवं 2388, वार्ड नं०-25/29/46/61, शीट नं०-187, सर्किल नं०-127, म्यु० नं०-3627 एवं 3628	मेसर्स एम्स हाइब्रीड सीड्स प्रा० लि०, द्वारा-साई सुमित्रा ट्रेडिंग, जे०-157 पी०सी०, कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-20, वार्ड नं०-8ए०, होल्डिंग नं०-477/जे०-157, पी०ओ०/पी०एस०-कंकड़बाग, पटना।
उत्तर - म्यु प्लॉट नं०-2387	उत्तर - खाली प्लॉट, जे०-112, पी०सी० कॉलोनी
दक्षिण - श्री राम बाबु महतो,	दक्षिण - रोड
पूरुब - श्री मोदी महतो	पूरुब - जे०-158 पी०सी० कॉलोनी
पश्चिम - पक्की सड़क	पश्चिम - जे०-158 पी०सी० कॉलोनी

Date : 20.04.2018

Seal :


 19.4.18
 Licensing Authority
 Director of Agriculture
 Bihar, Patna

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

- The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
- The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
- This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto 19.04.2021 Unless previously cancelled or suspended. (Nineteen April Two thousand Twenty one)
- The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
- The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
- Separate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).